



शिक्षा विभाग हरियाणा

की

वर्ष 1978-79

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक

निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा

विषय विवर्णिका

| अध्याय | विषय | पृष्ठ |
|--------|---|-------|
| | रिपोर्टों की समीक्षा | 1-7 |
| | समालोचना | 8 |
| 1. | सामान्य सार | 9-13 |
| 2. | शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन | 14-17 |
| 3. | विद्यालय शिक्षा | 18-25 |
| 4. | हाईविद्यालय शिक्षा | 26-28 |
| 5. | शिक्षक प्रशिक्षण | 29-31 |
| 6. | औपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा | 32-34 |
| 7. | महिला शिक्षा | 35-38 |
| 8. | शिक्षा सुधार कार्यक्रम | 39-41 |
| 9. | छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता | 42-45 |
| 10. | निष्कर्ष | 46-51 |

Sub. No. *10* Systems Unit,
National Institute of Education
Planning and Administration
17-B, *Sd* *Aud* *Irdo* Marg, New Delhi-110016
DOC. No.
Date

“शिक्षा विभाग, हरियाणा की वर्ष 1978-79 की प्रशासकीय रिपोर्ट की समीक्षा”

वर्ष 1978-79 में शिक्षा विभाग पिछले वर्षों की भांति राज्य में शिक्षा के विकास कार्य सामान्य रूप से कार्य करता रहा है। शिक्षा के विकास में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त अराजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों ने भी शिक्षा के विकास में आवश्यक योगदान दिया है। राज्य में दो सम्बद्ध विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तथा महापि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक हैं। शिक्षा विभाग सामान्यतः शिक्षा के विभिन्न स्तरों से संबंधित विकास योजनाएँ बनाने-उससे संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने तथा उनके उचित सम्भव्य का कार्य करना है।

इस अर्थ में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सन्तोषजनक प्रगति हुई। शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने संबंधी कार्यक्रमों पर भी विशेष बल दिया गया। इस विभाग की गतिविधियों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

- (क) शिक्षा का विकास, योजनाओं का बनाना तथा उनको अधीनस्थ वायालयों के अधिकारियों की सहायता से कार्यान्वित करना।
- (ख) भिन्न-भिन्न वर्गों के शिक्षकों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करने के लिये भिन्न-भिन्न स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रबन्ध करना।
- (ग) विश्वविद्यालयों, अराजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों की पालना परखने के पश्चात् अनुदान की राशि स्वीकृत करना।
- (घ) भूगाव एवं योग्य विद्यार्थियों एवं अनुपूर्वित जातियों/पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवक्तियों, बर्जाओं एवं फीसों की प्राप्ति कराना।
- (ङ) पाठ्य-पुस्तकें तथा अध्यापक पुस्तिकाओं का उपलब्ध करना।
- (च) अन्य कार्यक्रम।

(क) शिक्षा को विकास योजना का बनाना तथा उनको अधीनस्थ कार्यालयों के अधि-कारियों की सहायता से कार्यान्वित करना ।

(1) बजट :— रिपोर्टाधीन अग्रवधि में शिक्षा विभाग का कुल बजट (संशोधित अनुमान) 4582.09 लाख रुपये था जिसमें ~~यजनेमस्तर~~ पर 3816.48 लाख रुपये और योजना स्तर पर 765.61 लाख रुपये था ।

(2) स्कूलों का खोलना और स्तर बढ़ाना :— इस अग्रवधि में सरकार ने 71 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक तथा 40 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर उच्च किया ।

(3) छात्र संख्या :— स्कूल शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या वर्ष 1978-79 में 17.45 लाख (लड़के 12.19 लाख और लड़कियाँ 5.26 लाख) थी । इनमें प्राइमरी स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11.73 लाख थी । माध्यमिक स्तर पर 4.35 लाख तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1.38 लाख रही । पिछले वर्ष की अपेक्षा रिपोर्टाधीन वर्ष में स्कूल शिक्षा के हर स्तर पर छात्र संख्या में वृद्धि हुई है । उच्च शिक्षा स्तर पर 81288 छात्रों ने राज्य की भिन्न-भिन्न उच्च शिक्षण की संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की ।

(4) अध्यापक :— शिक्षा के विकास के साथ साथ भिन्न-भिन्न संस्थाओं में शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है । रिपोर्टाधीन अग्रवधि में भिन्न-भिन्न वर्गों के स्कूलों में 30-9-78 को 53738 अध्यापक थे । उच्च शिक्षा संस्थाओं में (महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) शिक्षकों की संख्या 3414 थी । पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षकों की संख्या विशेषता स्कूल स्तर की संस्थाओं में बढ़ी है ।

(5) प्राथमिक शिक्षा का विकास :— राज्य में 6-11 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिये विशेष पग उठाये गये । जिनमें प्राथमिक स्तरीय ड्राप-आऊटस के लिये रिपोर्टाधीन अग्रवधि में 2368 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गये जिनमें 49174 बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा देकर साक्षर बनाया गया ।

(6) उच्च शिक्षा का विकास :—उस अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 118 रही जिनमें 20 शिक्षा महाविद्यालय और 98 महाविद्यालय सामाजिक शिक्षा के थे। राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले महाविद्यालयों की संख्या केवल 14 थी। रिगोर्टोधीन अवधि में राजकीय महाविद्यालय करनाल में की 09/10/10 भवन- II (नान मैडीकल) की कक्षाएं आरम्भ की गईं।

वर्ष 1978-79 में राज्य में 81288 छात्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की जिनमें 16832 राजकीय महाविद्यालयों, 60408 ने अराजकीय महाविद्यालयों तथा 4048 ने विश्वविद्यालयों के टीचिंग विभागों द्वारा प्राप्त की।

(7) भवनों की मरम्मत/निर्माण :—रिगोर्टोधीन अवधि में करनाल, बहादुरगढ़, हिसार तथा महेन्द्रगढ़ में स्थित राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण कार्यक्रमों पर 19.57 लाख रुपये सरकार द्वारा खर्च किये गये।

स्कूल स्तर की शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये 123 राजकीय विद्यालयों भवनों की मरम्मत के लिये लोक निर्माण विभाग से प्राप्त अनुमानों के आधार पर 25.50 लाख रुपये को राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त 2.50 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की वार्षिक मरम्मत के लिये 50 विकास खण्डों तथा पंचायत समितियों को दी गई।

(8) प्रौढ़ शिक्षा :—15-25 आयु वर्ग के युवकों एवं युवतियों को शिक्षा देने का कार्यक्रम 4 जिलों में भिवानी, कुरुक्षेत्र, जीन्द एवं महेन्द्रगढ़ में चलाया गया। इस स्कीम के अन्तर्गत 400 केन्द्र खोले गये और इन केन्द्रों में 8600 प्रौढ़ों को शिक्षा का लाभ पहुंचाया गया। इस स्कीम पर खर्चा भारत तथा राज्य सरकार 50:50 के आधार पर करनी है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में 851 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये जिनमें 19333 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया। इन केन्द्रों में 398 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र अनुसूचित जातियों के लिये खोले गये थे। साक्षरता प्राप्त करने वाले पौढ़ों में से पुरुषों की संख्या 5565 तथा स्त्रियों की संख्या 2781 है।

प्रौढ़ शिक्षा के कार्य को सुचारु रूप में चलाने के लिए निम्नलिखित पद सृजित किए गए ।

| | |
|----------------------------------|---|
| (1) संयुक्त निदेशक प्रौढ़ शिक्षा | 1 |
| (2) उप निदेशक प्रौढ़ शिक्षा | 1 |
| (3) सहायक निदेशक प्रौढ़ शिक्षा | 2 |

उपरोक्त के अतिरिक्त रिमोर्स केन्द्र की स्थापना के लिए एकमात्र पद निदेशक रिमोर्स केन्द्र का तथा 5 पद अनुसंधान अधिकारियों के लिये भी रिपोर्टी-धीन अवधि में सृजित किये गये ।

जिला स्तर पर जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के पद (एक पद प्रति जिला) सृजित किये गये ।

(ख) भिन्न-भिन्न वर्ग के शिक्षकों को आवश्यकानुसार उपलब्ध करने के लिये भिन्न-भिन्न स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रबन्ध करना :-

रिपोर्टीधीन वर्ष के डिप्लोमा-एन-एजुकेशन की कक्षाओं में दाखिला सरकार द्वारा पिछले वर्ष की भान्ति बन्द रहा । क्योंकि प्राईमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिये पहले ही काफी संख्या में अध्यापक बेरोजगार थे । रिपोर्टीधीन अवधि में हिन्दी तथा संस्कृत ओ० टी० की कक्षाएँ राजकीय शिक्षण महाविद्यालय, भिवानी में खोली गईं । इसके अतिरिक्त ओ० टी० पंजाबी की कक्षा रा० जे० बी० टी० स्कूल, नारायणगढ़ में आरम्भ की गई ताकि आवश्यकता अनुसार इन विषयों के अध्यापक विभाग को उपलब्ध हो सकें । अध्यापकों की व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाने तथा स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिये रिपोर्टीधीन अवधि में 4100 प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों और 1200 मैकण्डरी अध्यापकों को भिन्न-2 विषयों में मत्वाकालीन प्रशिक्षण दिया गया । प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिये जे० बी० टी० अध्यापकों/खण्ड शिक्षा अधिकायियों को भी विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया ।

(ग) विश्वविद्यालयों, राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों की पाठ्यता परखने के पत्रात अनुदान की राशि स्वीकृत करना :-

रिपोर्टाधीन अर्वाध में विश्वविद्यालयों, अराजकीय महाविद्यालयों, विद्यालयों में शिक्षा के काम को सुचारु रूप से चलाने तथा शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के लिये निम्नलिखित अनुदान (विकास एवं संरक्षण अनुदान) दिये गये :-

| | |
|--|------------------|
| कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र | 154.06 लाख रुपये |
| महाश्व दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतास | 150.00 लाख रुपये |
| अराजकीय महाविद्यालय | 133.45 लाख रुपये |
| अराजकीय विद्यालय | 21.85 लाख रुपये |

इस वर्ष अराजकीय महाविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान की मात्रा उनके घाटे के 45 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत कर दी गई है। इससे राज्य सरकार को 34.14 लाख रुपये की राशि मेंटेम ग्रांट के रूप में अधिक देनी पड़ी है। अराजकीय विद्यालयों को उपरोक्त दिये गये 21.85 लाख रुपये के अनुदान की राशि के अतिरिक्त इन स्कूलों के उनके घाटे के 31¼ प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान की राशि भी दी गई।

रिपोर्टाधीन अर्वाध में कोठरी ग्रांट स्कीम के अन्तर्गत 43.85 लाख रुपये की राशि संशोधित वेतनमानों के रूप में इन अराजकीय विद्यालयों को दी गई।

(घ) सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों एवं अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां, बर्षीय एवं फीसों की प्रतिपूर्ति करना :-

रिपोर्टाधीन अर्वाध में विद्यालय/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को भिन्न-भिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत दी गई हैं :-

(1) भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 109.3 योग्य छात्रों को 11.38 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

(2) 599 योग्य हरियाणवी छात्रों को मैट्रिक उग्रांत संस्थाओं में पढ़ने वाले के लिये 3.64 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां राज्य सरकार द्वारा दी

(3) सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले 613 छात्रों को 15.40 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां दी गईं ।

(4) भारत सरकार की राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 342 छात्रों को 2.41 लाख की ऋण छात्रवृत्तियां दी गईं ।

(5) उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 688 छात्रों को 15/- रुपये मासिक की दर से तथा साध्यात्मिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 1014 छात्रों को 10/- रुपये मासिक दर से योग्यता छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था भी की गई ।

उपरोक्त छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त राज्य हरिजन कल्याण याजना के अन्तर्गत स्कूल स्तर पर अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों को नौवी, दसवी तथा ग्याह्रवीं कक्षा में 8/- रुपये प्रतिमास की दर से वजीफे/छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं मद्राविद्यालय स्तर पर पिछड़े वर्ग के छात्रों को भिन्न-भिन्न कक्षाओं/कोर्सों में 15/- रुपये 20/- रुपये तथा 25/- रुपये की दर से वजीफे दिये गये । इन वजीफों के लिये 40.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

मैट्रिक उपरांत कक्षाओं में अनुसूचित जातियों के छात्रों को भिन्न-भिन्न कक्षाओं/कोर्सों के लिये 40/- रुपये की दर से 195 रुपये की दर तक प्रति मास वजीफे इत्यादि भी दिये गये । यह वजीफे/छात्रवृत्तियां विद्यार्थियों को उनके संरक्षकों की आय के आधार पर दी जाती है । रिपोटोधीन अर्थात् में 64.49 लाख रुपये की व्यवस्था की गई और लगभग 4600 छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ ।

अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर अनुसूचित जातियों के प्रत्येक छात्र को मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति दी गई ।

संस्कृत/तिलगू भाषा पढ़ने वाले योग्य छात्रों को प्रात्याह्न स्ने हेतु 10/- रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं ।

(अ) पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का उपलब्ध करना :—

पिछले वर्ष की भांति रिपोटोधीन अर्थात् में विद्यार्थियों का पाठ्य पुस्तक तथा अभ्यास पुस्तिकाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध करने हेतु विशेष ध्यान दिया गया । वर्ष 1978-79 में अनुसूचित जातियां तथा वीक वर्ग

के विद्यार्थियों को ऋण के आधार पर पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध करने हेतु सरकार ने 9.29 लाख रुपये की राशि की पुस्तकों स्थापित बचत-बैंक को सौदुह करने के लिये खरीदी गई ।

अन्य कार्यक्रम :-

फीडिंग प्रोग्राम

मध्यान्ह भोजन का लाभ रिपोर्टीधीन अवधि में 4 22 लाख बच्चों को उपलब्ध किया गया जबकि पिछले वर्ष केवल 2.80 लाख बच्चों को प्राप्त हुआ था । इस कार्यक्रम पर शिक्षा विभाग ने 26.30 लाख रुपये की राशि कोयल संगठन के प्राशसकीय तथा परिवहन खर्च के रूप में दी । घरौडा में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा 40,000 बच्चों के लिये प्रतिदिन पंजीरी तैयार करने स्कूलों में बांटेने के लिये भेजी गई ।

(2) अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष :-

रिपोर्टीधीन अवधि में त्रिपदाग्रत अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को भिन्न भिन्न प्रकार की सहायता के रूप में इस कोष में 3.83 लाख रुपये की राशि वितरित की गई ।

(3) खेलकूद एवं क्रियात्मक कार्यक्रमों में उपलब्धियाँ :-

अन्तर राजकीय शीतकालीन प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र/छात्राओं ने कुशली में एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक तथा 2 कांसिय पदक प्राप्त किये । स्वर्ण पदक जवैलन धरो में तथा एक स्वर्ण पदक पोल वोल्ड में भी प्राप्त किया । पोल वोल्ड में एक रजत पदक भी छात्र द्वारा प्राप्त किया गया ।

(4) एन. एस. एस. स्कीम के अन्तर्गत प्रारंभिक जनता के उत्थान हेतु 123 गाँवों को लगे गये जिनमें 6000 छात्रों ने भाग लिया ।

रिपोर्टीधीन वर्ष में कर्नल राम सिंह तथा उनके पश्चात् श्री हीरा नन्द आया, शिक्षा मन्त्री के पद पर रहे । शिक्षाध्वस्त एवं सचिव के पद पर कुमार जी मीरा सेठ, श्री कुलवंत सिंह, श्री जी. वी. गुप्ता तथा उनके पश्चात् श्री जे. डी. गुप्ता, आई. ए. एस. रहे । श्री ओ. पी. भारद्वाज, आई. ए. एस. ने रिपोर्टीधीन अवधि में निदेशक शिक्षा विभाग का कार्यभार सम्भाले रखा ।

प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 1978-79 पर समालोचना

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य के शिक्षा क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है। प्राईमरी, मिडिल तथा उच्च/उच्चतर स्तर पर छात्रों की संख्या में उन्माहजनक वृद्धि हुई है। शिक्षा की सुविधाओं में और विस्तार करने के लिये 71 प्राईमरी स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर माध्यमिक तथा 40 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर उच्च किया गया है। माध्याह्न भोजन का लाभ जो पहले 2.80 लाख बच्चों को प्राप्त था, उसका विस्तार कर अब उसका लाभ 4.22 लाख प्राईमरी कक्षाओं के बच्चों को दिया गया है।

शिक्षा के स्तर को गम्भीर करने के लिये शिक्षा विभाग ने गुणात्मक सुधार योजनाओं पर विशेष बल दिया। वर्ष के दौरान 4100 प्राथमिक अध्यापकों तथा 1200 माध्यामिक अध्यापकों को भिन्न भिन्न विषयों को संचारण रूप में पढ़ाने के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया।

स्कूल भवनों की मरम्मत पर 25.50 लाख रुपये की राशि लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क) हरियाणा द्वारा व्यय की गई। इसके अतिरिक्त 2.50 लाख रुपये की राशि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की वार्षिक मरम्मत के लिये 50 विकास खण्ड/पंचायत समितियों को दी गई।

शैक्षणिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी संतोषजनक प्रगति हुई। खेलों के क्षेत्र में भी अन्तर राजकीय प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र/छात्राओं द्वारा भिन्न-भिन्न प्रतियोगिताओं में तीन स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं 2 कांस्य के पदक प्राप्त किए गए।

अध्याय 1

“सामान्य सार”

1.1. प्रस्तुत शिक्षा विभाग की प्रशासकीय रिपोर्ट वर्ष 1978-79 की शिक्षा की गतिविधियों से संबन्धित है।

1.2. सितम्बर 1978 में हरियाणा में स्थित भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की संख्या तथा शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही -

| संस्था का प्रकार | संस्थाओं की संख्या | छात्रों की संख्या | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|
| | | लड़के | लड़कियां | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| प्राथमिक पाठशालाएं | 5,384 | 4,73,180 | 2,06,658 | 6,79,838 |
| माध्यमिक पाठशालाएं | 801 | 2,09,499 | 89,808 | 2,99,307 |
| उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं | 1,201 | 5,38,204 | 2,32,607 | 7,70,811 |
| शांतिरक्षक शिक्षा महाविद्यालय | 1 | 66 | 6 | 72 |
| महाविद्यालय | 118 | 53,075 | 24,165 | 77,240 |
| विश्वविद्यालय | 2 | 3,017 | 1,031 | 4,048 |

स्तर अनुसार छात्र संख्या :-

1.3 राज्य में सितम्बर 1978 में शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार रही थी ।

| शिक्षा का स्तर | छात्रों की संख्या | | |
|--|-------------------|----------|-----------|
| | लड़के | लड़कियाँ | जोड़ |
| स्कूल स्तर | | | |
| प्राथमिक स्तर (पहली से पांचवी कक्षाएं) | 7,87,565 | 3,85,459 | 11,73,024 |
| माध्यमिक स्तर (छठी से आठवीं कक्षा) | 3,27,030 | 1,07,875 | 4,43,905 |
| उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर (नौवीं से ग्याह्रवीं कक्षाएं) | 1,04,607 | 33,066 | 1,37,663 |
| कुल संख्या | 12,19,202 | 5,26,390 | 17,45,592 |

उच्च शिक्षा स्तर :--

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| प्री-यूनीवर्सिटी | 15,919 | 5,111 | 21,030 |
| तीन वर्षीय डिग्री कोर्स | 33,257 | 13,477 | 46,734 |
| पी. एच डी तथा एम. ए कक्षाएं | 2,764 | 1,528 | 1,292 |
| बी. एड./एम. एड. | 1,352 | 2,430 | 3,782 |
| अन्य कोर्सिज | 2,800 | 2,650 | 5,450 |
| योग | 56,892 | 25,196 | 81,288 |

शिक्षकों की संख्या :- -

1. 4. हरियाणा राज्य में कार्य करने वाले शिक्षकों की कुल संख्या स्तर अनुसार इस प्रकार रही :-

(क) स्कूल स्तर पर :-

| | पुरुष | महिलाएं | कुल अध्यापक |
|------------------|--------|---------|-------------|
| प्राइमरी स्तर | 19,702 | 10,466 | 30,168 |
| माध्यमिक स्तर | 9,946 | 3,687 | 13,633 |
| उच्च/उच्चतर स्तर | 7,542 | 2,395 | 9,937 |
| योग | 37,190 | 16,548 | 53,738 |

इन अध्यापकों में से 4957 अध्यापक अराजकीय विद्यालयों में कार्य करते हैं।

(ख) उच्च शिक्षा स्तर पर :-

| | पुरुष | महिलाएं | कुल |
|----------------------------|-------|---------|-------|
| राजकीय महाविद्यालय | 630 | 198 | 828 |
| अराजकीय महाविद्यालय | 1,660 | 624 | 2,284 |
| शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय | 1 | 1 | 2 |
| विश्वविद्यालय | 265 | 31 | 296 |
| योग | 2,556 | 854 | 3,414 |

शिक्षा पर व्यय

1.5. शिक्षा विभाग का वर्ष 1978-79 का बजट (सशोधित अनुमान अनुसार) इस प्रकार था :

(राशि लाखों में)

| सद | आवृत्त | योजना | कुल |
|-------------------------------|----------|--------|----------|
| 1. उच्च शिक्षा (कालिज शिक्षा) | 378.61 | 305.40 | 684.01 |
| 2. माध्यमिक शिक्षा | 1,738.75 | 127.71 | 1,866.46 |
| 3. प्राथमिक शिक्षा | 1,504.69 | 249.76 | 1,754.45 |
| 4. विशेष शिक्षा (सपैशल) | 3.82 | 37.68 | 41.50 |
| 5. एन. सी. सी. | 491.68 | 23.54 | 73.22 |
| 6. विविध | 16.15 | — | 16.5 |
| जोड़ | 3691.70 | 744.09 | 4435.79 |

(ख) परोक्ष व्यय :

| | | | |
|---------------------------|---------|--------|---------|
| 1. निर्देशन | 35.93 | 3.00 | 38.93 |
| 2. इम्पैकेशन | 88.85 | 18.52 | 107.37 |
| जोड़ | 124.78 | 21.52 | 146.30 |
| जोड़ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष | 3816.48 | 765.61 | 4582.09 |

महाविद्यालय शिक्षा :-

1.6. इस वर्ष कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया। नैशनल कालिज सिरसा का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया है। -

महाविद्यालय शिक्षा :-

1.7. राज्य के सभी 11 जिलों में शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं जो अपने-अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्यान्वित करते हैं।

भाषाई ग्रन्थसंख्याओं की सुविधाएं :-

1.8. हरियाणा राज्य में भाषाई ग्रन्थसंख्याओं को राज्य सरकार द्वारा अपनी भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में सुविधा जारी रखी गई। यदि किसी वक्ता में कम से कम 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी वह भाषा पढ़ने की इच्छा रखते हों तो उनके लिये उस भाषा को पढ़ने का प्रबन्ध किया जाता है।

नये स्कूलों का खोलना तथा स्कूलों का स्तर बढ़ाना :-

1.9. इस अवधि में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पंचकूला में खोला गया। इसके अतिरिक्त 71 प्राथमिक स्कूलों के स्तरको बढ़ाकर मिडल तथा 40 मिडल स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर उच्च किया गया।

छात्र कल्याण कार्यक्रम :-

1.10. गत वर्ष की भांति इस वर्ष में भी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को नियन्त्रित मूल्यों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करवाया गया। विद्यार्थियों को नियंत्रित मूल्यों पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करने के लिये राज्य के महाविद्यालयों/विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के सभी छात्रावासों को निकट के सहकारी उपभोक्ता स्टोरों से सम्बन्ध रखा गया ताकि उनको बिना कठिनाई सभी वस्तुएं उपलब्ध होती रहे।

छात्रों को पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध करवाना :-

वर्ष 1978-79 में अनुसूचित जातियों तथा अंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु 7043 बुक बैगों को सुवृद्ध करने के लिये 9.50/- लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 9.29 लाख रुपये की राशि खर्च हुई।

अध्याय 2

“शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन”

वर्ष 1978-79 में कुछ समय के लिये कर्नल राम सिंह तथा इसके पश्चात श्री हीरा नन्द आर्या, शिक्षा मन्त्री के पद पर रहे ।

(क) सचिवालय :-

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षायुक्त एवं सचिव के पद पर कुमारी मीरा सेठ, श्री कुलवन्त सिंह, श्री जी. वी. गुप्ता तथा श्री जे. डी. गुप्ता रहे । उप सचिव के पद पर श्री श्री एम. के जैन ने कार्य किया । उपरोक्त सभी अधिकारी आई. ए. एस. काडर के हैं । अवर सचिव के पद पर श्री ओ. पी. जैन तथा रामप्रसाद एच. एस. एस. ने कार्य किया ।

(ख) निदेशालय स्तर :--

रिपोर्टाधीन वर्ष में श्री ओ. पी. भारद्वाज, आई. ए. एस. निदेशक शिक्षा के पद पर कार्य किया ।

पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा में विशेष विकास हुआ जिसके कारण हर स्तर पर शिक्षा की प्रशासकीय सुविधा का ध्यान में रखते हुए निदेशालय के स्कूल तथा कॉलेज शिक्षा के कार्य को फेमड प्रोग्राम में अलग-अलग करने का निर्णय लिया गया जिसके अनुसार संयुक्त निदेशक प्रशासन के पद का अपग्रेड करके 10-2-78 में अनिश्चित निदेशक का पद बना दिया गया और इस पद पर श्री क. सी. शर्मा नियुक्त रहे । इस प्रकार निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सुचारु रूप में चलाने के लिये निदेशक शिक्षा विभाग को सहयोग दिया ।

संयुक्त निदेशक (महाविद्यालय), एच ई एस.

संयुक्त निदेशक (शिक्षा) एच 0 सी 0 एस 0

- उप निदेशक महाविद्यालय, एच 0 ई 0 एम 0
- उप निदेशक विद्यालय, एच 0 ई 0 एम 0
- उप निदेशक योजना, एच 0 ई 0 एम 0
- अध्यक्ष, अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, एच 0 ई 0 एम 0
- प्रशासन अधिकार, एच 0 सी 0 एम 0
- सहायक निदेशक (परीक्षा), एच 0 ई 0 एम 0
- सहायक निदेशक (आकड़ा), एच 0 ई 0 एम 0
- सहायक निदेशक (निर्माण), एच 0 ई 0 एम 0
- सहायक निदेशक (सालवृत्ति), एच 0 ई 0 एम 0
- सहायक निदेशक (पुस्तक) एच 0 ई 0 एम 0
- सहायक निदेशक (अध्यापक प्रशिक्षण) एच 0 ई 0 एम 0
- सहायक निदेशक (अध्यापक स्थाना), एच 0 ई 0 एम 0
- सहायक निदेशक (स्कूल), एच 0 ई 0 एम 0
- लेखा अधिकारी-1
- लेखा अधिकारी-2
- रजिस्ट्रार शिक्षा
- बजट अधिकारी

जिला प्रशासन :-

2.2. राज्य के प्रत्येक जिले के स्कूल शिक्षा का विकास, प्रशासन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने

जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्यरूप देने हैं। जिले में शिक्षा के विकास कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये सभी उप-मंडलों में उप-मंडल शिक्षा अधिकारी हैं। उप-मंडल शिक्षा अधिकारी अपने उप-मंडल में शिक्षा के विकास के लिये जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं।

माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी रुचियों के अनुसार भाषाएँ, व्यवसाय आदि के सूझाव में सहायता देने के लिये जिला स्तर पर एक-एक महायक मार्गदर्शन परामर्शदाता की नियुक्त की हुई है। यह अधिकारी विद्यार्थियों में जाकर विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न व्यवसायों के बारे में मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं ताकि स्कूल शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् विद्यार्थी अपनी रुचियों के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकें। विद्यार्थी को भिन्न-भिन्न व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण की उपलब्ध सुविधाएँ के बारे में भी काम दिया जाता है।

31-3-79 की स्थिति अनुसार निदेशालय तथा जिला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा परिशिष्ट "क" तथा "ख" में दिया गया है। श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय के कुल पदों की सूचि परिशिष्ट "ग" में दी गई है।

खण्ड स्तर पर :-

2.3. राज्य में स्थित सभी 538 प्राथमिक विद्यालयों को निरीक्षण तथा प्रशासन सुविधा के लिये 117 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने खण्ड में प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिये उत्तरदायी हैं।

राजकीय विद्यालय :-

2.4. सभी राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध मुख्य अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है। सभी मुख्य अध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षणिक मानसिक और शारीरिक विकास के लिये जिला शिक्षा अधिकारी तथा विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

अराजकीय विद्यालय :-

2. 5. अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी स्थानीय प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। यह विद्यालय शिक्षा विभाग में मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग इनको सुचारु रूप से चलाने के लिये वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय :-

2. 6. राजकीय महाविद्यालयों के प्रचार्य प्रत्यक्ष रूप में सुचारु रूप से प्रशासन तथा उच्च शिक्षा के विकास के लिये निदेशक शिक्षा के प्रति उत्तरदायी हैं। परन्तु गैर सरकारी महाविद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियां ही चलाती हैं। राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति को अपनाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार भी इनको वित्तीय सहायता साधारण तथा विकास अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष देती है।

अध्याय 3

"विशालय शिक्षा"

3. 1 शिक्षा के ढांचे में विशालय शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है । तथा इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान होना भी चाहिए क्योंकि बच्चा सबसे पहले स्कूल में ही शिक्षा ग्रहण करना आरम्भ करता है । अतः इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने विशालय शिक्षा के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया है ।

3. 2. इस समय हरियाणा में सभी राजकीय विशालयों में पहली से आठवीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । 6 से 11 वर्ष की आयु के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों में लाने के लिये प्रति वर्ष अप्रैल मास में छाल्र संख्या अभियान चलाया जाता है । लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1976-77 से प्रति वर्ष एक लाख रुपया दिया जाता है जिसके द्वारा कमजोर वर्ग की पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रति वर्ष 15/- रु० की कीमत की वर्दी प्रत्येक छात्र को दी जाती है । जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 6660 लड़कियों को लाभान्वित किया जाता है ।

शिक्षा सुविधाओं का विस्तार :—

3. 3. रिपोर्टाधीन वर्ष में शिक्षा सुविधाओं में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है । वर्ष 1978-79 में 71 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर माध्यमिक तथा 40 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर उच्च किया गया । इनमें से 8 लड़कियों के गिडल स्कूल तथा 9 मिडल स्कूलों (लड़कियों के) का तर्जो बढ़ा कर उच्च किया गया ।

1-9-78 को हरियाणा में गैर-सरकारी तथा सरकारी विशालयों की संख्या

निम्नलिखित थी :—

| क्रम संख्या | सरकारी | गैर-सरकारी | जोड़ |
|----------------------------------|--------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. पूर्व प्राथमिक विद्यालय | 6 | 1 | 7 |
| 2. प्राथमिक विद्यालय | 5296 | 88 | 5384 |
| 3. माध्यमिक विद्यालय | 775 | 26 | 801 |
| 4. उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 966 | 235 | 1201 |

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तीन स्कूलों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई गई है। जिसके नाम निम्न प्रकार हैं :-

1. सरस्वती विद्या मन्दिर, जगाधरी ।
2. सरस्वती हाई स्कूल, पलवल
3. सेंट क्रियासचीयन हाई स्कूल, गुड़गांव

बालवाड़ियों की स्थपना :—

3. 4. समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के 3 से 6 वर्ष के बच्चों की देखरेख एवं उनके लिये शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये राज्य में पिछले वर्ष 10 बालवाड़ियों की व्यवस्था की गई थी। इन बालवाड़ियों के अतिरिक्त राज्य के कुछ अराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के माथ नर्सरी तथा प्री-प्राईमरी श्रेणियां भी संलग्न हैं। इन श्रेणियों में भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

छात्र संख्या :-

3. 5. वर्ष 1978-79 में स्कूलों में भिन्न भिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले विद्या-

धियों की संख्या इस प्रकार रही है :—

| शिक्षा का स्तर | लड़के | लड़कियाँ | जोड़ |
|---------------------------|--------|----------|---------|
| प्राथमिक स्तर | 787565 | 385459 | 1173024 |
| माध्यमिक स्तर | 327030 | 107875 | 434905 |
| उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर | 104607 | 33056 | 137663 |

रिपोर्टींग अवधि में छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा प्राथमिक स्तर पर 27 हजार, माध्यमिक स्तर पर 28 हजार तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 34 हजार की वृद्धि हुई ।

अध्यापक :-

3. 6. वर्ष 1978-79 में जिन स्कूलों का स्तर बढ़ाया गया उनके लिये निम्न-लिखित अमला भी स्वीकृत किया गया —

| | |
|---------------|-----|
| मुख्याध्यापक | 40 |
| मास्टर | 151 |
| पी. टी. आई. | 40 |
| लिपिक | 40 |
| चतुर्थ श्रेणी | 151 |

वर्ष 1978-79 में हरियाणा राज्य के निम्न-निम्न स्तरों पर शिक्षकों की संख्या

इस प्रकार रही —

| शिक्षा का स्तर | पुरुष | महिलाएं | जोड़ |
|----------------------------|-------|---------|-------|
| प्री-प्राइमरी स्तर | 17 | 62 | 79 |
| प्राथमिक स्तर | 19702 | 10466 | 30168 |
| माध्यमिक स्तर | 9946 | 3687 | 13633 |
| उच्च/उच्चतर माध्यामिक स्तर | 7542 | 2395 | 9937 |
| जोड़ | 37206 | 16610 | 53817 |

हरियाणा राज्य में अधिकतर अध्यापक प्रशिक्षित हैं। राज्य में केवल 698 अध्यापक ऐसे हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं। उपरोक्त अध्यापकों में से 48781 अध्यापक राजकीय विद्यालयों में और 4957 अध्यापक अराजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

अध्यापक छात्र अनुपात :-

3.7. रिपोर्टाधीन अवधि में स्कूल के भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न वर्गों के स्कूलों में अध्यापक छात्र अनुपात इस प्रकार रहा —

| स्कूल अनुसार | स्तर अनुसार |
|-----------------------------------|--|
| प्राथमिक स्कूल (1-5) | 1:10 प्राथमिक स्तर (1-5) 1:39 |
| माध्यमिक स्कूल (1-8) | 1:33 माध्यामिक स्तर (6-8) 1:32 |
| उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल (1-11) | उच्च/उच्चतर माध्यामिक स्तर (9-11) 1:14 |

बोहरी पारी प्रणाली :-

3. 8. भिन्न-भिन्न विद्यालयों के भवनों में छात्रसंख्या की वृद्धि के कारण बच्चों के बैठने के लिये स्थान और कमरों की कमी हो जाती है, उन विद्यालयों में बोहरी पारी प्रणाली अपनाने की स्वीकृति देने में जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं समक्ष है ।

सहशिक्षा की नीति :-

3. 9. ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिये माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय नहीं हैं, वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की गई है। 5141 प्राथमिक विद्यालयों में से 244 राजकीय और 16 अराजकीय प्राथमिक विद्यालय केवल कन्याओं के लिये हैं। शेष सभी विद्यालयों में सहशिक्षा है।

तेलगू भाषा की शिक्षा :--

3. 10. हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। इस भाषा की शिक्षा की सुविधा राज्य के 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। तेलगू भाषा पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को 10/- रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1978-79 में इस पर 37440/- रुपये की राशि व्यय की गई।

भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक :--

3. 11. हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पढ़नी श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है।

3. 12. विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह छठी कक्षा से आरम्भ की जाती है। तीसरी भाषा पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के आगन्तुक राष्ट्रीय भावात्मक एकता लाने के लिये दक्षिण भारत की भाषा की शिक्षा की सुविधा भी 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और आठवीं श्रेणियों

में पंजाबी, उर्दू और संस्कृत तथा तेलगू भाषाओं में से विद्यार्थी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं।

3.13. हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये उन्हें अपनी भाषा के अध्ययन करने की भी हरियाणा सरकार ने विशेष सुविधा दे रखी है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 बच्चों या स्कूल में 40 बच्चों से अधिक विद्यार्थी हों तो वह अपनी भाषा को राज्य भाषा के अतिरिक्त एक विशेष भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिये सरकार उनको इस विषय में शिक्षा देने के लिये सुविधा प्रदान करती है। 19 अराजकीय विद्यालयों को, जिनमें हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी थी, पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिये सरकार ने विशेष अनुमति दे रखी है।

3.14 भाषा अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा प्रदान करने तथा सरकार को इस संबंध में मशवरा देने हेतु एक उच्च स्तरीय अल्प भाषाई समिति का गठन किया हुआ है।

शिक्षा पद्धति 10-2-3 को लागू करना :-

3.15. शिक्षा का नया शैक्षणिक ढांचा अभी हरियाणा राज्य में लागू नहीं किया गया। इस ढांचे को लागू करने हेतु पिछले वर्ष माध्यमिक/उच्च उच्चतर/माध्यमिक विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1977-78 में 80.30 लाख रुपये की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी।

चतुर्थ अखिल भारतीय सर्वेक्षण :-

3.15(ए). 6.11 आयु वर्ग के सभी बच्चों को भविष्य में अनिवार्य तथा निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु आवश्यक शैक्षणिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिये शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों के अनुरार हरियाणा राज्य में भी 30-9-1978 के मिति अनुसार सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण पर होने वाला भार खर्चो भारत सरकार द्वारा बहन किया गया। भारत सरकार को निर्धारित समय मारणी अनुसार 31 मार्च, 1979 तक

हरियाणा राज्य में सभी खण्ड टेबल तैयार कर लिये गये थे। तथा जिला स्तर पर की टेबूलेशन का कार्य आरम्भ कर दिया गया था।

परीक्षा परिणाम :-

3.16. आठवीं दसवीं तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षाओं के लिये राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की हुई है। वर्ष 1978-79 में आठवीं कक्षा में 124142 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे जिनमें से 54 40 प्रतिशत पास घोषित हुए तथा 16016 विद्यार्थी प्राइवेट आधार पर परीक्षा में बैठे जिनमें से 39 37 विद्यार्थी पास घोषित हुए।

3.17. दसवीं कक्षा की परीक्षा में 56815 विद्यार्थी नियमित तौर पर बैठे जिनमें से 64.33 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए तथा 23852 विद्यार्थी प्राइवेट तौर पर परीक्षा में बैठे और 21.17 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। उच्चतर माध्यमिक कक्षा का परिणाम 47.29 पास प्रतिशत रहा।

अराजकीय विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना :-

3.18. रिपोर्टोधीन अवधि में निम्नलिखित विद्यालयों को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई :-

1. सरस्वती विद्या मन्दिर, जगाधरी
2. सरस्वती हाई स्कूल, पलवल
3. सेंट क्रियसनीयन हाई स्कूल, गुडगांव

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान :-

3.19. पूर्व वर्षों की भांति वर्ष 1978-79 में ही अराजकीय विद्यालयों को निम्नलिखित अनुसार अनुदान दिया गया :-

| | |
|-------------------------------|-----------|
| प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय | 5,18,526 |
| उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 15,68,560 |

| | |
|---|--------|
| स्थानीय विकास/कैंट बोर्ड प्राईमरी | 20,000 |
| संस्कृत विद्यालय गुरुकुल | 73,393 |
| हरियाणा साकेत कौशिक, चण्डीमन्दिर | 68,000 |
| हरियाणा वैजफेयर सोमईरी फार डेफ गंड इम्प चण्डीगढ़ को गुडगांव केन्द्र के लिये | 26,500 |
| गांधीयन इंस्टीच्यूट आफ स्टडीज, वाराणसी | 10,000 |

उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त 10 अराजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की उपकरणों के खरीदने के लिये 500/- रु० प्रति स्कूल की दर से 5000/- रु० की राशि का उपकरण अनुदान भी दिया गया।

अराजकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों को उनके घाटे का 31¼ प्रतिशत अनुदान भी दिया गया तथा अराजकीय/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उनके घाटे की 25 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी गई इसके अतिरिक्त रिपोटर्बिन् अवधि में अराजकीय विद्यालयों को कोठारी ग्रांट स्कीम के अन्तर्गत 4,38,845/- रु० की राशि स्वीकृत की गई।

अध्याय चौथा

“महाविद्यालय शिक्षा”

महाविद्यालयों की संख्या :—

4.1. रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 118 थी जिसमें 20 शिक्षा महाविद्यालयों और 98 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के थे। राज्य में प्रशासनिक प्रबंध अनुसार इन महाविद्यालयों की संख्या इस प्रकार रही है।

| राज्य सरकार द्वारा | प्राइवेट वाडीज द्वारा | विश्वविद्यालय द्वारा | जोड़ |
|--------------------|-----------------------|----------------------|------|
| 14 | 101 | 3 | 118 |

गैर सरकारी महाविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण में लेना :—

4.2. वर्ष 1978-79 में नेशनल कालिज, सिरसा को राज्य सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया।

राजकीय महाविद्यालयों में नये विषयों/कक्षाओं का चालू करना

4.3. वर्ष 1978-79 में राजकीय महाविद्यालय करनाल में बी०एस०सी० भाग-11 (नान मैडिकल) की कक्षाएं आरम्भ की गईं।

अराजकीय महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान :—

4.4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य के राजकीय/अराजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे प्राध्यापकों/प्राचार्यों के 1-1-1973 के संशोधित वेतनमान के खर्च के लिये वर्ष 1978-79 में 44.03 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई ॥

1-11-1966 से अराजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के संशोधित वेतन-मान के खर्च के लिये 15.81 लाख रुपये की राशि वर्ष 1978-79 में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई।

4.6 इसके अनिश्चित राज्य के अराजकीय महाविद्यालयों को वर्ष 1978-79 में 68.41 लाख रुपये की मेन्टेनंस पांट तथा 5.20 लाख रुपये की विकास अनुदान के रूप में राशि दी गई। इस बारे में यह कहना है कि वर्ष 1978-79 में सरकार ने अराजकीय कालिजों को दी जाने वाली अनुदान की मात्रा उनके घाटे को 45 प्रतिशत से 75 प्रतिशत कर दी है। जिससे सरकार को 34.44 लाख रुपये अधिक खर्च करने पड़े।

4.7. विश्वविद्यालयों को दिन प्रति दिन के खर्च हेतु तथा विकास कार्यों के लिये वर्ष 1978-79 में 304.06 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

| | (लाख रुपये) |
|----------------------------------|-------------|
| (क) कुक्षेत्र विश्वविद्यालय | 154.06 |
| (ख) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय | 150.00 |
| जोड़ | 304.06 |

अराजकीय महाविद्यालयों में प्रशासकों की नियुक्ति :—

4.8. सरकार ने अहीर कालिज रिवाड़ी तथा डी०ए०बी० कालिज त्रसतागढ़ में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिये।

प्लानिंग फोरम :—

4.9 वर्ष 1978-79 में राज्य के 3 विश्वविद्यालयों, 14 राजकीय तथा 10 अराजकीय महाविद्यालयों में स्थापित किये गये प्लानिंग फोरमज को चालू रखने के लिये 0.46 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

राजकीय महाविद्यालयों के लिये भवनों/छात्रावासों का निर्माण :—

4.10. इस परियोजना के अन्तर्गत 1978-79 में व्यवस्थित 18.00 लाख रुपये की राशि के समक्ष 19.57 लाख रुपये के खर्च से करनाल, बहाबुरगढ़, हिसार तथा महेन्द्रगढ़ में स्थित राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्यक्रम चलाया गया।

छात्र संख्या :-

4.11. रिपोर्टीय वर्ष में राज्य में 81288 छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। संस्थानसार छात्रों की संख्या इस प्रकार थी :—

| संस्था का स्तर | छात्रों की संख्या | | |
|------------------------|-------------------|----------|-------|
| | लड़के | लड़कियां | जोड़ |
| 1. राजकीय महाविद्यालय | 12921 | 3911 | 16832 |
| 2. अराजकीय महाविद्यालय | 40154 | 20254 | 60408 |
| 3. विश्वविद्यालय | 3017 | 1031 | 4048 |
| जोड़ | 56092 | 25196 | 81288 |

अध्याय पाँचवा

“शिक्षक प्रशिक्षण”

5.1. शिक्षा का स्तर अध्यापक के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर है। शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रति दिन कई प्रकार के नये अनुसंधान हो रहे हैं तथा अध्यापक का इन अनुसंधानों तथा प्रयोगों से भली भाँति परिचित होना आवश्यक है। इसलिये शिक्षक को व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिये दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है :—

1. सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण।
2. सेवाकालीन प्रशिक्षण।

सेवा काल से पूर्व प्रशिक्षण:—

वर्ष 1978-79 में शिक्ष-भिक्ष वर्गों के अध्यापकों के लिये राज्य में निम्न-लिखित पाठ्य क्रमांक की सुविधाएं उपलब्ध थी।

एम0एड0 कक्षाएं :—

राज्य में एम0एड0 की कक्षाएं केवल राव वीरेन्द्र सिंह शिक्षण महाविद्यालय रिवाड़ी तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध रही। दोनों संस्थाओं में वर्ष 1978-79 में 37 लड़के तथा 51 लड़कियों ने प्रवेश प्राप्त किया।

बी0 एड0 कक्षाएं :—

वर्ष 1978-79 में बी0एड0 प्रशिक्षण अध्यापकों की कक्षाएं राज्य में 20 शिक्षा महाविद्यालयों में चालू रही। इसके अतिरिक्त वैश्व कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़ को भी 50 लड़कियों के लिये बी0एड0 की कक्षाएं चालू करने की अनुमति भी दी गई थी। इन सभी महाविद्यालयों में 1315 लड़कों तथा 2379 लड़कियों ने बी0एड0 की कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त किया।

डिप्लोमा एम-एजुकेशन कक्षाएं :-

शक्षणिक वर्ष 78-79 में डिप्लोमा-इन-एजुकेशन तथा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण बन्द रहा, क्योंकि पहले ही काफी संख्या में प्रारम्भिक कक्षाओं के अध्यापक बेरोजगार थे।

ओ० टी० प्रशिक्षण कक्षाएं :-

रिपोर्टीधीन अवधि में निम्नलिखित संस्थाओं में हिन्दी, संस्कृत तथा पंजाबी की ओ० टी० कक्षाएं खोलने की अनुमति दी गई।

1. राजकीय शिक्षण महाविद्यालय, हिन्दी तथा संस्कृत की 60-60 सीट्स भिवानी
2. राजकीय जे० बी० टी० स्कूल, ओ० टी० पंजाबी की 40 सीट्स नारायण गढ़

सेवाकालीन प्रशिक्षण :-

गत वर्षों की भांति वर्ष 1978-79 में भी प्राथमिक तथा स्नातक अध्यापकों के लिये कई सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये गये। इस वर्ष जो सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये गये, वे निम्न प्रकार हैं :-

| प्रशिक्षण का विवरण | प्रशिक्षण अवधि (दिनों में) | जितने अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किया गया |
|--|-------------------------------|--|
| 1. शिक्षा अधिकारी | 5 | 50 |
| 2. मुख्य अध्यापक/मुख्य अध्यापिकाएं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्राधानाचार्य | 5 | 1000 |
| 3. खण्ड शिक्षा अधिकारी | 5 | 117 |
| 4. माध्यमिक अध्यापक | 20 | 1200 |
| 5. प्राथमिक अध्यापक | 16 | 4100 |

विस्तार सेवा विभाग :-

5. 2. विस्तार सेवा विभाग, रोहतक द्वारा भी नजदीक के अध्यापकों के लिये थोड़ी अवधि (शोर्ट टर्म कोर्स) के लिये कोर्स आयोजित किये जाते हैं ।

राज्य विज्ञान संस्थान गुडगांव :-

5. 3. रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य विज्ञान संस्थान, गुडगांव प्राथमिक तथा सैकेण्डरी स्तर पर विज्ञान शिक्षा को विकसित करने तथा विज्ञान शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिये काफी प्रयत्नशील रहा। इसके प्रतिरिक्त प्राथमिक तथा सैकेण्डरी अध्यापकों के लिये विज्ञान विषय में विभिन्न प्रकार के कोर्सिंग भी इस संस्थान द्वारा आयोजित किये गये ।

युनिसिफ स्कीम के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा सुधार कार्यक्रम :-

5. 4. यह स्कीम वर्ष 1970-71 से प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के स्तर को समन्वित करने वाला तथा विज्ञान शिक्षा में सुधार लाने के लिये शुरू की गई थी। वर्ष 78-79 में इस स्कीम के अन्तर्गत जे० बी० टी० अध्यापकों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों/उप मंडल शिक्षा अधिकारियों को विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया ।

अध्याय छठा

“अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ शिक्षा”

6.1. जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। आज के आधुनिक युग में नित्य नये वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं इसलिये इन नये वैज्ञानिक आविष्कारों और सार्वत्रिक घटना चक्रों के ज्ञान के लिये समाज के अशिक्षित वर्ग को शिक्षित करना आवश्यक हो गया है अतः इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में प्रौढ़ों का शिक्षा के लिये भिन्न-भिन्न परियोजनाएँ चल रही है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

किशन साक्षरता योजना :-

6.2. यह परियोजना वर्ष 1969-70 में केवल रोहतक जिले में प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 1978-79 तक इस परियोजना को राज्य के 6 जिलों रोहतक, अम्बाला, करनाल, गुड़गांव, हिमाल तथा सिरसा में फैला दिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 300 केन्द्र खोले जाते थे अर्थात् 1800 केन्द्र खोले जाने थे किन्तु वर्ष 1978-79 में 1605 केन्द्र खोले जा सके। इस परियोजना के अन्तर्गत 37804 प्रौढ़ों को साक्षरता प्रदान की गई। इस स्कीम का सारा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

15-35 आयु वर्ग के युवकों को अनौपचारिक शिक्षा :-

6.3. यह स्कीम भारत सरकार के साथ 50:50 के आधार पर 4 जिलों में चलाई जा रही है अर्थात् 4 जिलों में से 2 जिला भिवानी तथा कुरुक्षेत्र का खर्च भारत सरकार द्वारा शेष 2 जिलों जीन्द तथा महेन्द्रगढ़ का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत 15-35 आयु वर्ग के पुरुष तथा युवतियों को साक्षरता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत 100 केन्द्र खोले गये तथा इन केन्द्रों में 8600 प्रौढ़ों को शिक्षा का लाभ पहुंचाया गया।

मोबाईल सोशन एंजकेशन स्कैंड

6. 4. यह स्कीम राज्य के 2 जिलों जीन्द तथा महेन्द्रगढ़ में चलाई जा रही है। इसके अधीन प्रत्येक स्कैंड में 29 केन्द्र होते हैं जिनमें से 16 केन्द्र महिलाओं के तथा 13 केन्द्र पुरुषों के होते हैं। इसके अन्तर्गत प्रौढ़ों को समाज शिक्षा का ज्ञान करवाया जाता है तथा उन्हें साक्षरता प्रदान की जाती है।

प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम :-

6. 5. प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1973-74 में आरम्भ किया गया था और वर्ष 1977-78 में राज्य के सभी जिलों में यह कार्यक्रम फैला दिया गया। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में 1100 प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोलने का लक्ष्य था परन्तु 851 प्रौढ शिक्षा केन्द्र ही खोले जा सके, जिनमें 19833 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया। इन 851 केन्द्रों में से 398 प्रौढ शिक्षा केन्द्र अनुसूचित जातियों के लिये खोले गये थे जोकि 263 केन्द्र पुरुषों के लिये तथा 135 केन्द्र स्त्रियों के लिये थे। इन केन्द्रों द्वारा कुल 8346 अनपढ़ प्रौढ़ों को साक्षरता प्रदान की गई, जिनमें से पुरुषों की संख्या 5565 तथा स्त्रियों की संख्या 2781 है।

अनौपचारिक शिक्षा आयु वर्ग 6-14 में प्रयोग तथा अन्वेषण को प्रोत्साहन

6. 6. यह योजनागत स्कीम राज्य में सभी जिलों में चलाई गई है तथा इसके अधीन राज्य में 2620 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा था किन्तु इसके अधीन केन्द्र 2368 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र ही खोले जा सके जिनमें 49174 बच्चों को साक्षर बनाया गया।

प्रौढ शिक्षा का विस्तार :-

6. 7. वर्ष 1978-79 में प्रौढ शिक्षा का विस्तार किया गया। निदेशक शिक्षा इस कार्यक्रम के समस्त प्रभारी है, जिसके विस्तार के कारण प्रौढ शिक्षा के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये निदेशालय स्तर पर तथा जिला स्तर पर अधिकारियों के पद मूजन किये गये जो निम्न प्रकार है

निदेशालय स्तर पर :-

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. संयुक्त निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा) | 1 |
| 2. उप निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा) | 1 |
| 3. सहायक निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा) | 2 |

एक राज्य सन्साधन केन्द्र की स्थापना की गई है जिसमें एक निदेशक, 6 अनन्यमंथान अधिकारियों के पद सृजित किये गये हैं।

जिला स्तर पर :-

प्रत्येक जिले के लिये एक जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, एक परियोजना अधिकारी तथा एक सहायक परियोजना अधिकार का पद सृजित किया गया है।

अध्याय सातवा

“महिला शिक्षा”

7.1. वर्तमान आधुनिक युग में महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर सफल हो रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में महिलाएँ पुरुषों से भी आगे बढ़ रही हैं। अतः महिला शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये राज्य सरकार ने लड़कियों को शिक्षा प्राप्त के लिये कई प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध की हुई हैं। यह सुविधाएँ रिपोर्टोधीन भ्रवाधि में भी जारी रही।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक सभी राजकीय विद्यालयों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा ट्यूशन फीस कम ली जाती है। अराजकीय विद्यालयों में भी छठी से ग्याहरवीं कक्षा तक पढ़ने वाली कन्याओं की फीस की दर लड़कों की अपेक्षा कम रखी गई है।

(ख) हरिजन कन्याओं को गौरी, दसवीं तथा ग्याहरवीं कक्षाओं में क्रमशः 20, 25 और 30 रुपये की मासिक की दर से योग्यता छात्रवृत्तियाँ देने की भी व्यवस्था है। यह छात्रवृत्तियाँ आठवीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली कन्याओं को दी जाती है। प्रत्येक कक्षा के लिये 50, 50 छात्रवृत्तियाँ हरिजन कन्याओं के लिये हर वर्ष उपलब्ध की जाती है।

(ग) विधवाओं/पतियों से अलग रहने वाली/विवाह विच्छेद स्त्रियों के लिये जे०बी०टी०/एल०टी०सी०/नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाओं में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। ऐसी महिलाओं को अधिकतम आयु में साधारण ढील दे दी जाती है। यह स्त्रियाँ 31 वर्ष की आयु तक प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं जबकि पुरुषों की अधिकतम आयु केवल 26 वर्ष है। उन मिलटरी पुरुषों की पत्नियों या उनके आश्रितों को जो अयोग्य हो गये हों या लड़ते लड़ते मारे गये हों, प्रवेश के लिये अधिकतम आयु की सीमा 41 वर्ष है।

(घ) जिन स्थानों/गावों में कन्याओं के लिये अलग स्कूल नहीं है वहाँ पर कन्याओं को लड़कों के स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने की भी अनुमति दी जाती है।

कन्या शिक्षा संस्थाओं की संख्या :-

| संस्था का प्रकार | राजकीय | अराजकीय | जोड़ |
|-------------------|--------|---------|------|
| प्राथमिक विद्यालय | 261 | 10 | 271 |
| माध्यमिक विद्यालय | 71 | 6 | 77 |
| उच्च विद्यालय | 106 | 82 | 188 |
| उच्चतर माध्यमिक | 20 | 1 | 21 |
| महानिद्यालय | 1 | 25 | 26 |

पिछले कुछ वर्षों से कन्याओं के स्कूलों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण यह रहा है कि जिन स्थानों पर कन्याओं के लिये अलग स्कूल नहीं है वहाँ पर वे लड़कों के स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। परन्तु कन्याओं के लिये अलग प्राथमिक स्कूल निम्नलिखित बातों पर खाले जाते हैं।

1. यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की भांग हो।
2. यदि स्थानीय जनता स्कूल भवन के लिये प्रबन्ध करे।
3. यदि 30 या 40 कन्याएं विद्यालय में प्रवेश पाने के लिये उपलब्ध हों।
4. यदि एक मील के क्षेत्र में कन्याओं के लिये कोई और विद्यालय न हो।

जिला शिक्षा अधिकारी, कन्याओं के लिये अलग प्राथमिक ब्रांच विद्यालय भी खोल सकते हैं यदि उस गांव में लड़कियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो और आंगरिक स्टाफ देने की आवश्यकता न हो।

सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप राज्य में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या 5.52 लाख रही जबकि पिछले वर्ष 1977-78 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 5.21 लाख थी।

छात्रवृत्तियां :-

7.3. राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की छात्रवृत्तियां केवल लड़कियों को इसलिये स्वीकृत की जाती है कि वह भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और उसके माता-पिता तथा संरक्षक अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण लड़कियों की शिक्षा में बाधक न बन सकें। अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग की लड़कियों में शिक्षा प्रोत्साहन के लिये महाविद्यालय स्तर पर उन लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है जिनके माता-पिता की आय निश्चित सीमा 6000/- रु से कम हो।

वर्ष 1978-79 में कन्याओं को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण इस प्रकार है :—

| छात्रवृत्ति का नाम | छात्रवृत्तियों की संख्या केवल लड़कियों के लिये | मासिक दर |
|--------------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 |

स्कूल स्तर :-

| | | |
|------------------------------------|-----|---------|
| मिडल स्कूल छात्रवृत्ति | 378 | 10/- रु |
| माध्यमिक स्कूल योग्यता छात्रवृत्ति | 411 | 15/- रु |

महाविद्यालय स्तर

| 1 | 2 | 3 |
|--|----|----------|
| राज्य योग्यता छात्रवृत्तियाँ :- | | |
| उच्च/उच्चतर माध्यमिक | 47 | 22/- रु० |
| पैप | 83 | 45/- रु० |
| हायर सैकेंडरी पाठ- II कुल स्तर | 15 | 45/- रु० |
| नीची श्रेणी | 50 | 20/- रु० |
| दलीली श्रेणी | 50 | 25/- रु० |
| ग्यारहवीं | 50 | 30/- रु० |

कमजोर वर्ग की लड़कियों को मुफ्त बर्तियाँ देना :-

प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले कमजोर वर्ग की लड़कियों को रिपोर्टीधीन अधि में एक लाख रुपये की लागत की मुफ्त बर्तियाँ समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गईं।

विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले छात्राओं की संख्या :-

राज्य में विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार थी :-

| शिक्षा का स्तर | छात्राएँ |
|---------------------------|---------------|
| प्राथमिक स्तर | 385459 |
| माध्यमिक स्तर | 107875 |
| उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर | 33056 |
| महाविद्यालय स्तर | 25196 |
| जोड़ | 551586 |

अध्याय आठवां

“शिक्षा सुधार कार्यक्रम”

8.1. शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिये तथा शिक्षा के स्तर को सम्बुद्ध करने के लिये विभाग द्वारा रिपोर्टीधीन अवधि में कई कार्यक्रम चलाये गये हैं। अध्यापकों को नवीनतम शिक्षण पद्धतियों तथा विधियों के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षा देने हेतु राज्य शिक्षा संस्थान तथा राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा समय-समय पर मार्ग दर्शन दिया जाता रहा है। वर्ष 1978-79 में 4100 प्राथमिक अध्यापकों तथा 1200 माध्यमिक अध्यापकों को भिन्न-भिन्न विषयों को सुचारू रूप से पढ़ाने के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया गया है।

राज्य शिक्षा संस्थान के प्रकाशन विभाग द्वारा प्राथमिक अध्यापक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से प्राथमिक अध्यापकों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक विकास के लिए पत्राचार कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया गया है। यह पत्रिका राज्य के लगभग 30 हजार प्राथमिक अध्यापकों को निशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक अध्यापक प्रति मास शाला संगम की बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचारविमर्श करते हैं। जिसे उनको बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है।

8.2. संस्थान के प्रसारण सेवा केन्द्र ने गुडगांव के आस पास के प्राईमरी स्कूलों में शिक्षा में सुधार लाने में विशेष सहयोग दिया है। इन स्कूलों में उपलब्ध साधनों और प्रदान की गई सहायता के माध्यम से शिक्षा को और अधिक रोचक बनाने के लिए अध्यापकों को मार्गदर्शन दिया गया और समय-समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर के अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि की गई। ऐसा करने से अध्यापकों में अन्वेषण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया गया है। गुडगांव के आस पास के 133 प्राथमिक अध्यापकों को विभिन्न विषयों को नई शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाने से अवगत कराया गया।

शाला संगम :-

स्थापित किये गये शाला संगम क्षेत्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्राथमिक अध्यापकों की व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जाते हैं। इन मासिक बैठकों में अध्यापक कक्षा संबंधी अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खड शिक्षा अधिकारी उपमण्डल, शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी समय-समय पर भाग लेते हैं।

विज्ञान शिक्षा सुधार कार्यक्रम :-

8. 3. प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के स्तर को समुन्नत करने के लिये 1970-71 में यूनिगिफ की स्कीम आरम्भ की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत जे 0बी 0टी 0 अध्यापकों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों/उप मण्डल शिक्षा अधिकारियों को विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा वाञ्छित प्रशिक्षण दिया गया।

संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान संस्थान द्वारा नये प्रकार की विज्ञान किट्स तैयार की गईं। राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण गुंथार के लिए रिपोर्टीधीन अवधि में 2.25 लाख रुपये की राशि किट्स तैयार करने के लिए प्रदान की।

प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण में परिवेश तथा स्थानिय साधनों के प्रयोग पर 11-12-1978 से 20-1-1979 तक एक कर्मशाला का आयोजन किया गया जिसमें 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विज्ञान शिक्षण में परिवेश तथा साधनों के प्रयोग पर एक अध्यापक निर्देशिका भी तैयार की गई।

कार्य अनुभव :-

8. 4. कार्य अनुभव शिक्षा का एक महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग है। यह विषय राज्य के सभी राजकीय स्कूलों में पढ़ाया जाता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा यह विषय अनिवार्य विषय घोषित किया जा चुका है। इस विषय का नाम बनल कर समाज उपयोगी उत्पादक कार्य रखने हेतु विचार किया जा रहा है। राज्य में नई शिक्षा पद्धति 10 + 2 + 3 के अनुसार हर विद्यालय में इन विषय

की शिक्षा के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में गुड़गांव, नीलाखेडी तथा नारनौल में केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

प्लैनिंग फोरम

8.5. राज्य के 3 विश्वविद्यालयों, 14 राजकीय महाविद्यालयों तथा 102 अराजकीय महाविद्यालयों में स्थापित किये गये प्लैनिंग फोरम के कार्यक्रम को रिपोर्टाधीन अवधि में चालू रखने हेतु 0.40 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई।

शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध करना :--

8.6. रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक तथा भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिये विशेष पग उठाये गये।

जिन राजकीय विद्यालयों के भवन लोक निर्माण विभाग की पुस्तकों में दर्ज हैं उनमें से 12J राजकीय विद्यालयों के भवनों की मुरम्मत के लिये लोक निर्माण विभाग से प्राप्त अनुमानों के आधार पर 25.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) हरियाणा द्वारा समस्त राशि का उपयोग कर दिया गया था।

सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की वार्षिक मुरम्मत के लिये 50 खण्ड विकास तथा पंचायत समितियों को दी गई।

अध्याय नौ

“छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता”

9.1. भिन्न-भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्रति वर्ष अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता तथा छात्रवृत्तियां भी दी गईं।

भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना :-

9.2. इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य 1093 छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 1978-79 में 11.38 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। हरियाणा राज्य के प्रारम्भिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के 65 बच्चों को भारत सरकार भिन्न-भिन्न परीक्षाओं के आधार पर छात्रवृत्तियां भी देती है। वर्ष 1978-79 में ऐसी छात्रवृत्तियों पर 39000/- रुपये की राशि व्यय की गई।

महाविद्यालयों में राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना :-

9.3. योग्य हरियाणवी छात्रों को राज्य की मैट्रिक उपरान्त संस्थाओं में पढ़ने के लिये योग्यता छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। वर्ष 1978-79 में 599 छात्रों को 3.64 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृत्तियां :-

9.4. रिपोर्टेधीन वर्ष में सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले 613 छात्रों को 15.40 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां दी गईं।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना :-

9.5. इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार निर्धन माता पिता के कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले योग्य बच्चों को ऋण के आधार पर छात्रवृत्तियां देती है। वर्ष 1978-79 में 2.41 लाख रुपये की राशि इस परिपोजना के लिये व्यय की गई। इस योजना के अन्तर्गत 342 छात्रों ने लाभ उठाया।

वर्ष 1978-79 में 1 06 लाख रुपये ऋण के रूप में तथा 0 17 लाख रुपये मूद के रूप में वसूल हुए।

स्कूलों के छात्रों के लिये योग्यता छात्रवृत्ति योजना :—

9.6. राज्य सरकार की ओर से माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिये 1014 योग्यता छात्रवृत्तियां 10/- रु0 प्रति मास की दर से और उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिये 668 छात्रवृत्तियां 15/- रु0 प्रति मास की दर से दी जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिये माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना :—

9.7. ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिये माध्यमिक स्तर पर भारत सरकार तथा राज्य की ओर से 6 छात्रवृत्तियां प्रति विकास खंड में दी जाती हैं। चुने गये स्कूल के छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 1000/- रुपये प्रतिवर्ष और अन्य स्कूलों में छात्रों की 500 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त छात्र अपनी इच्छा के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं और फीस देते हैं, उन्हें 250/- रु0 प्रति वर्ष और जहां फीस नहीं ली जाती, वहां 150/- रु0 प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1978-79 में इस परियोजना के लिये 2.73 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां :—

9.8. नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षा में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को 10/- रु0 प्रति मास की दर से छात्रवृत्तियां भारत सरकार द्वारा दी जाती हैं। वर्ष 1978-79 में इस परियोजना के लिये 8000/- रु0 की राशि की व्यवस्था की गई थी।

तेलगू पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां :—

9.10. हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। वर्ष 1978-79 में 10/- रु0 प्रति मास की दर से छात्रवृत्तियां दी गईं और इस कार्य के लिये 37086/- रु0 की राशि व्यय की गई।

राज्य हरिजन कल्याण योजना :-

9.11. स्कूल स्तर पर अनसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों नौवीं दसवीं तथा ग्याहरवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 8/- रु0 प्रति मास की दर से छात्रवृत्तियां दी गईं। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

9.12. महाविद्यालय स्तर पर पिछड़े वर्गों के छात्रों को भिन्न-भिन्न कक्षाओं/कोमों में 15/- रु0, 20/- रु0 तथा 25/- रु0 मासिक दर में छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त इन छात्रों की परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की गई। वर्ष 1978-79 में इस परियोजना के लिये 40.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 3230 छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ।

स्कूल स्तर पर छात्रवृत्तियों की स्वीकृतियां देने के लिये उप मंडल शिक्षा अधिकारी सक्षम हैं। राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां उन्हीं महाविद्यालयों के प्राचार्य स्वीकृत कर सकते हैं, जिसे छात्रों को समय पर छात्रवृत्तियां मिल जाती हैं परन्तु गैर सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत सहायक निदेशक छात्रवृत्ति द्वारा दी जाती है। छात्रों को छात्रवृत्ति तथा अन्य सभी प्रकार की वित्तीय सहायता उनके माना-पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय के आधार पर दी जाती है। वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 4200/- निर्धारित है।

हरियाणा राज्य में हरिजन छात्राओं के लिये योग्यता छात्रवृत्ति योजना

9.13. नौवीं, दसवीं तथा ग्याहरवीं कक्षाओं की हरिजन छात्राओं के लिये 150 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है। प्रति वर्ष 50 नई छात्रवृत्तियां प्रत्येक कक्षा में अर्थात् नौवीं, दसवीं तथा ग्याहरवीं में क्रमशः 20/- रु0, 25/- रु0 तथा 30/- रु0 प्रति मास की दर से दी जाती है। वर्ष 1978-79 में इसके लिये 45000/- रुपये की व्यवस्था की गई थी।

विमुक्त जाति छात्रवृत्ति योजना

9.14. विमुक्त जाति के बच्चों को स्कूल तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्र-

शून्यां देने के लिये अलग से विगुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है। वर्ष 1978-79 में इस परियोजना के लिये 43,300 रुपये की व्यवस्था की गई थी।

अनुसूचित जाति के छात्रों को भारत सरकार द्वारा मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति

9.15 अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक उपरान्त स्तर पर छात्रवृत्तियां शिक्षा शुल्क तथा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली शुल्क की राशि भी दी जाती हैं। इन छात्रों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। ऐसी छात्रवृत्तियों की दरें कक्षा/कोर्स अनुसार भिन्न-भिन्न है जो कि 40/- रुपये प्रति मास से 195/- रुपये प्रति मास तक है। ये छात्रवृत्तियां माता-पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय के आधार पर दी जाती है। 500/- रुपये तक मासिक आय वाले माता-पिता संरक्षकों के बच्चों को पूर्ण छात्रवृत्ति तथा अन्य पूर्ण सुविधाएं दी जाती हैं। परन्तु 501/- रुपये से 750 रुपये तक की आय वाले माता-पिता/संरक्षकों के बच्चों को छात्रवृत्ति आधी दर पर तथा अन्य सुविधाएं पूर्ण रूप से दी जाती हैं। वर्ष 1978-79 में इन छात्रवृत्तियों के लिये लगभग 36.49 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी। इस छात्रवृत्ति स्कीम से लगभग 4600 छात्रों को लाभ हुआ।

कम आय वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति

9.16. इस स्कीम के अन्तर्गत जिन छात्रों के माता-पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय 1800/- रुपये या इससे कम हो, उनको मैट्रिक उपरान्त स्तर पर छात्रवृत्ति दी जाती है। इस छात्रवृत्ति की दर 27/- रुपये से 65/- रुपये प्रति मास है और छात्रवृत्ति के लिये अतिरिक्त शिक्षा शुल्क/अनिवार्य निधियां तथा परीक्षा शुल्क की सविधा भी दी जाती है। वर्ष 1978-79 में इस परियोजनार्थ 1.25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। इससे लगभग 183 छात्रों को वर्ष 1978-79 में लाभ प्राप्त हुआ।

अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति :

9.17. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर-अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों को भारत सरकार मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति देती है। इस स्कीम के अन्तर्गत एक छात्रवृत्ति दी गई जिस पर 768/- रुपये व्यय हुआ।

अध्याय दसवाँ

“बिबिध”

खेल कूद

10.1. खेल कूद के विषय को राज्य की शिक्षा संस्थाओं की शिक्षण पद्धति में उचित स्थान प्राप्त है। प्रायः खेलों पर व्यय शिक्षा संस्थाओं की मिश्रित निधि में किया जाता है। खेलों के महत्त्व को देखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 1978-79 में खेलों के विकास के लिये 22000/- रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी। जनवरी, 1979 में नागपुर में हुई शीतकालीन अन्तरराजकीय प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र / छात्राओं द्वारा निम्नलिखित स्थान प्राप्त किये गये :—

| | | |
|------------|---|------------|
| कुश्ती | 1 | स्वर्ण पदक |
| कुश्ती | 1 | रजत पदक |
| कुश्ती | 2 | कांस्य पदक |
| पोल वाल्ट | 1 | स्वर्ण पदक |
| पोल वाल्ट | 1 | रजत पदक |
| जैवेलन शूट | 1 | स्वर्ण पदक |

विद्यालयों के व्यायाम प्रशिक्षकों तथा खेलों में विशेष रुचि रखने वाले अध्यापकों व छात्रों को खेलकूद में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष शिविर भी आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 1978-79 में खेल विभाग के सहयोग से 50 पी टी आईज. को कुर्दोव में योग्य अध्यास का प्रशिक्षण दिया गया और वे प्रशिक्षित पी. टी. आईज. बच्चों को स्कूल में योग्य अध्यास करवायेंगे।

एन० एस० एस० :-

10. 2 विषयविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तिगत और उनके बौद्धिक विकास के लिये भारत सरकार की महायत्ना से हरियाणा राज्य में एन. एस. एस. प्रोग्राम चालू है। वर्ष 1977-78 में इस प्रोग्राम के अधीन स्वयं सेवकों की संख्या 12000 थी और कानिजों में स्वीकृत एन. एस. एस. युनिटों की संख्या 113 थी। वर्ष 1978-79 में इस प्रोग्राम के लिये विभाग के बजट में 14,40,000/- रुपये की व्यवस्था थी इस प्रोग्राम पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार क्रमशः 7:5 के अनुपात में खर्च करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये एन. एस. एस. के स्वयं सेवक विशेष सहयोग देते हैं। ग्रामीण जनता उत्थान हेतु "यूथ फार रुरल रिकंस्ट्रक्शन" अभियान के अधीन हरियाणा राज्य में वर्ष 1977-78 में 123 शिविर लगाये गये। (18 ग्रीष्मकालीन 74 पतझड़ अवकाश काल में तथा 31 शरद अवकाश काल में) इन शिविरों में से कुछ शिविर मलिन बस्तियों (Slum. Areas) में लगाए गए। लगभग 600 छात्रों ने इस शिविरों में भाग लिया। इन शिविरों में मुख्यता निम्नलिखित कार्यक्रमों पर कार्य किया गया।

1. Slum Clearance
2. Eradication of illiteracy.
3. Socio-medical work.
4. Improvement of Sanitation
5. Plantation of Trees
6. Popularisation & construction of Gobar Gas Plants.
7. Eradication of dowry and other social evils.
8. Adult Education.

एन० सी० सी० :-

10. 3. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार

एन सी सी. स्कीम के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, थल, तथा वायु सेनाओं का प्रशिक्षण राज्य में एन सी. सी. के कैंडिडस को दिया जाता है। महाविद्यालयों के छात्रों के लिये सीनियर डीविजन तथा विद्यालयों के छात्रों के लिये जूनियर डीविजन स्थापित किये हुए हैं।

इस परियोजना को चलाने का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकार भिन्नकर नियमानुसार करती हैं। वर्ष 1978-79 में एन सी. सी. स्कीम को चलाने हेतु 52,20,260/- रुपये की बजट व्यवस्था की गई। रिपोर्टाधीन अवधि में सीनियर/जूनियर डीविजन की बटालियन की संख्या और कुल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कैंडिडस की संख्या निम्नलिखित रही —

| सीनियर डीविजन | बटालियन की संख्या | कैंडिडस की संख्या |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| इनफैन्ट्री बटालियन (लड़कों के लिये) | 12 | 9600 |
| इनफैन्ट्री बटालियन (लड़कियों के लिये) | 2 | 16.00 |
| वायु सक्वैड्रन | 2 | 400 |
| जल बटालियन | 1 | 200 |
| ग्रुप हेडक्वार्टरज | 2 | — |
| जूनियर डीविजन | बटालियन की संख्या | कैंडिडस की संख्या |
| इनफैन्ट्री बटालियन (लड़कों के लिये) | 138 | 13,250 |
| इनफैन्ट्री बटालियन (लड़कियों के लिये) | 10 | 1,000 |
| वायु विंग | 14 | 1,350 |
| जल विंग | 5 | 450 |

रैडक्रास :-

10. 4. रैडक्रास संस्था समाज में रोगियों, अग्रहीनों, धायलों और निर्धनों की सहायता में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को छात्रों को प्रिय बनाने के लिये राज्य में जिला स्तर पर जूनियर रैडक्रास संस्थाएं जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थापित की गई हैं। शिक्षा संस्थाओं के रैडक्रास फण्ड में से आवश्यकतायुक्त बच्चों का पुस्तकें, नदियां, चिकित्सा के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके आन्तरिक विद्यालयों में एकत्रित रैडक्रास फण्ड की राशि में से कुछ प्रतिशत भाग साकेत में अग्रहीन बच्चों तथा व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु हर वर्ष दिया जाता है।

इस संस्था द्वारा वर्ष 1978-79 में बाढ़ पीड़ितों के लिये 24 लाख रुपये की राशि की सहायता दी गई। सहायता की मबों में दवाईयों, भोजन, कम्बल, आदि शामिल थे। इसी अवधि में लगाये गये रक्तदान शिविरों में 10,598 व्यक्तिगों ने रक्तदान किया। जिला रैडक्रास ब्रांच रोहतक के प्रस्ताव तथा पेंटिंग की प्रतियोगिता मनाई। इसमें 16 विद्यार्थियों ने प्रस्ताव तथा 65 विद्यार्थियों ने पेंटिंग भेजी।

संस्था द्वारा आर्थिक कमजोर स्त्रियों एवं बच्चों के लिये 21 काफ्ट केन्द्र खोले गये। यह केन्द्र रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी और अम्बाला जिले में स्थापित हैं। इनमें सिलाई, कढ़ाई निवार, वरियां आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन केन्द्रों में आर्डर पर कार्य भी किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि में संस्था ने शुद्ध पेय जल सुविधा उपलब्ध करने हेतु तथा गरीब बच्चों की पढ़ाई तथा पुस्तकों और नदियों आदि पर 3,29,812/- रुपये खर्च किये।

भारत स्काऊटस एवं गाईडस

10. 5. राज्य की शिक्षा संस्थाओं में भारत स्काऊटस एवं गाईडस आन्दोलन छात्रों में भ्रातृ-प्रेम, नेतृत्व की भावना तथा जन जाति की सेवा करने के भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। यह आन्दोलन हरियाणा भारत स्काऊटस एण्ड गाईडस एमोशिणन के संरक्षण में चल रहा है। वर्ष 1978-79 में राज्य सरकार द्वारा संस्था को 75000/- रुपये नान प्लान पक्ष से तथा 47750/- रुपये प्लान पक्ष से अनुदान के रूप में दिये गये।

वर्ष 1978-79 में हरियाणा भारत स्काऊट्स एण्ड गाईडज एसोशियेशन द्वारा राज्य स्तर पर 15 शिविर स्काऊट्स के लगाये गये जिनमें 832 स्काऊट्स ने भाग लिया और एक स्काऊट्स रैली में 392 स्काऊट्स ने भाग लिया । 3 समाज सेवा कैम्प लगाये गये जिनमें 408 स्काऊट्स ने भाग लिया । राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों के 4 कैम्प लगाये गये जिसमें 436 ने भाग लिया ।

राज्य स्तर पर 7 गल्ले गाईडज कैम्प लगाये गये जिसमें 282 गाईडज ने भाग लिया । एक समाज सेवा कैम्प लगाया गया जिसमें 300 गाईडज ने भाग लिया । राष्ट्रीय गतिविधियों के 7 कम्पों में 318 गाईडज ने गाईड स्तर की योग्यता प्राप्त की ।

स्कूल केयर फीडिंग प्रोग्राम

10.6. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हरियाणा में केयर की सहायता से 8: शिक्षा खण्डों में चलाया जा रहा है । इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राई-मरी स्कूलों के छात्र/छात्राओं को मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था है । यह खाद्य सामग्री केयर की सहायता से मुफ्त प्राप्त होती है । प्रत्येक बच्चे को 80 ग्राम दलिया तथा 7 ग्राम सलाद आयल दिया जाता है । वर्ष 1978-79 में अन्त में 4.22 लाख बच्चों की मध्याह्न भोजन का लाभ प्राप्त हुआ ।

शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम पर लगभग 26.39 लाख रुपये की राशि खर्च की जिनमें से 7.16 लाख की राशि केयर संगठन के प्रशासनिक व्यय के रूप में तथा शेष राशि अन्य खर्चों तथा परिवहन व्यय के रूप में खर्च की गई ।

घरोंडा में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा 4000 बच्चों के लिये प्रतिदिन पंजीरी तैयार कर के स्कूलों में बाटने के लिये भेजी गई । इस किचन के खर्च के लिये द्वारा 8.35 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई ।

पुस्तकालयों का विकास

10.7. वर्ष 1978-79 में जिला पुस्तकालयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई । इनकी संख्या गत वर्ष की तरह 7 ही रही ।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

10.8. वर्ष 1978-79 में राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान निधि में लगभग 3.83 लाख रुपये की राशि एकत्रित की गई तथा विपदाग्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को इस फण्ड में से 3.83 लाख रुपये सहायता के रूप में वितरित किये गये। सहायता के रूप में वितरित की जाने वाली राशि का ब्यौरा इस प्रकार है -

(1) 15 सेवा निवृत्त/मृतक अध्यापकों की लड़कियों को उनकी शादी पर 1500/- रुपये प्रति लड़की के हिसाब से 22500/- रुपये की सहायता दी गई।

(2) 3 अध्यापकों ने उनकी लम्बी बीमारी पर 500/- रुपये अध्यापक के हिसाब से 1500/- रुपये की सहायता दी गई।

(3) 73 मृतक अध्यापक/अध्यापिकाओं के आश्रितों को 1000/- रुपये प्रति अध्यापक/अध्यापिकाओं के दाहसंस्कार तथा क्रियाकर्म के लिये तर्क्य आधार पर तत्काल 73000/- रुपये सहायता के रूप में दिये गये।

(4) 61 मृतक अध्यापक/अध्यापिकाओं के आश्रित को 75 रुपये से 100 रुपये प्रति मास के हिसाब से एक साल के लिये 900 रुपये से 1200 की प्रति अध्यापक के परिवार को सहायता के रूप में दी गई है। जो 96059/- रुपये बनती है।

(5) मृतक अध्यापकों को विधवाओं को सिलाई मशीनें भी दी गई।

(6) 23 अध्यापकों के बच्चों को 23 छात्रवृत्तियां मैट्रिक पश्चात शिक्षा प्राप्त करने हेतु दी गई है। जो 18480/- रुपये की बनती है।

परिशिष्ट "क"

31-3-79 को निदेशालय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी :-

| क्रम संख्या | पद का नाम | वर्ग | अधिकारी का नाम |
|-------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|
| 1. | निदेशक शिक्षा | प्रथम | श्री ओ० पी० भारद्वाज आई० ए० एस० |
| 2. | निदेशक विद्यालय | प्रथम | श्री अनिल राजदान, आई० ए० एस० |
| 3. | संयुक्त निदेशक (महाविद्यालय) | प्रथम | श्री हरकिशन सिंह |
| 4. | संयुक्त निदेशक (विद्यालय) | प्रथम | श्री के० पी० अबरोल |
| 5. | उप निदेशक | प्रथम | श्रीमति राजदुलारी |
| 6. | उप निदेशक | प्रथम | श्री बी० एल० गोस्वामी |
| 7. | उप निदेशक | प्रथम | श्री पी० पी० गोस्साई |
| 8. | उप निदेशक | प्रथम | श्री आर० एस० दत्त |
| 9. | उप निदेशक | प्रथम | कुमारी स्वर्ण आतिश |
| 10. | राज्य सर्वेक्षण अधिकारी (अस्थाई) | प्रथम | श्रीमति पृष्ठा अबरोल |
| 11. | सहायक निदेशक | द्वितीय | श्री एस० एस० कौशल |
| 12. | सहायक निदेशक | द्वितीय | श्री वासुदेव छाबड़ा |
| 13. | सहायक निदेशक | द्वितीय | श्रीमति कमला छिकारा |

| क्रम संख्या | पद का नाम | वर्ग | अधिकारी का नाम |
|-------------|-----------------------------|---------|-----------------------|
| 14. | सहायक निदेशक | द्वितीय | श्री नरेन्द्र कुमार |
| 15. | सहायक निदेशक | द्वितीय | श्री बी० आर० बजाज |
| 16. | सहायक निदेशक | द्वितीय | श्री एस० एस० चौधरी |
| 17. | प्रशासन अधिकारी | द्वितीय | श्री शेर सिंह |
| 18. | लेखा अधिकारी | द्वितीय | श्री एस० एल० गुप्ता |
| 19. | रजिस्ट्रार शिक्षा | द्वितीय | श्री धर्मपाल गुप्ता |
| 20. | बजट अधिकारी | द्वितीय | श्री ज्ञान प्रकाश जैन |
| 21. | अनौपचारिक शिक्षा अध्यक्ष | प्रथम | रिक्त |

परिशिष्ट "ख"

31-3-79 को जिला स्तर पर अधिकारी

| क्रमांक | जिला | जिला शिक्षा अधिकारी का नाम | उप मंडल शिक्षा अधिकारी का नाम |
|---------|---------|----------------------------|--|
| 1. | अम्बाला | श्री एम०पी० जैन | कुमारी के० सुलहन, अम्बाला कुमारी विद्या भोला, जगाधरी कुमारी कृष्णा अग्रवा, नारायणगढ़ |
| 2. | भिवानी | कुमारी शांता राजदाम | श्री गगन सिंह, भिवानी श्री अमीर सिंह, चरखी दादरी श्री आर० डी० शर्मा, लोहाब |
| 3. | गुडगांव | श्री धर्म सिंह हिल्लों | श्री गगन सिंह, गडगांव श्री बलराज शर्मा, पलवल श्री जे० सी० तनेजा, नूह श्री इन्द्र सैम चर्डी, बल्लभगढ़ श्री हरवंश सिंह, फिरोजपुर सिरफा |
| 4. | हिसार | श्री चन्द्रभान | श्री जे० पी० शर्मा, हिसार श्री ओ० पी० बल्ला, हांसी श्री कदम सिंह, फतेहबाद |
| 5. | जींद | श्री प्रेम प्रकाश | श्री धन सिंह, जींद श्री रघुनाथ सहाय, नरवाना |
| 6. | करनाल | श्री जे० के० सूत | श्री बी० आर० गोयल, करनाल श्री बी० पी० गौतम, पानीपत |

| क्रमांक | जिला | जिला शिक्षा अधिकारी का नाम | उप-मंडल शिक्षा अधिकारी का नाम |
|---------|-------------|-------------------------------|--|
| 7. | कुरुक्षेत्र | श्री देव राज सिंह गिल | श्रीमति उमा चौपड़ा, थानेसर श्री जे० एस० शर्मा, कैथल |
| 8. | महेन्द्रगढ़ | कुमारी कृष्ण चौपड़ा | श्री एस० एस० राघव, नारनौल श्री आर० पी० गिरधर, रिवाड़ी श्री ओ० पी० सेठ, महेन्द्रगढ़ |
| 9. | रोहतक | डा० बाबू राम गुप्ता | श्री हृदयराम मलिक, रोहतक श्री लाल चन्द, झज्जर श्री सूरज लाल, बहादरगढ़ |
| 10. | मिरसा | श्री सोहन लाल | श्री एन० आर० मितल, मिरसा श्री आर० एन० बैद्य, डबवाली |
| 11. | सोनीपत | श्री वी०एस० पासी | श्री ए० डी० तालिब, सोनीपत श्री जगवीर सिंह, गोहाना |

परिशिष्ट " ग "

31-3-79 को श्रेणी I और श्रेणी II के कुल पद कालिङ्ग और स्कूलों के अलग-अलग

| क्रमांक | पद का नाम | वर्ग | कुल संख्या | पुरुष | स्त्री |
|---------|---|---------|------------|-------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | प्राचार्य रा० महाविद्यालय | प्रथम | 15 | 13 | 2 |
| 2. | प्रो० रा० महाविद्यालय | प्रथम | 9 | 1 | 1 (7 रिक्त) |
| 3. | निदेशक रा० शिक्षा संस्थान गुडगाँव | प्रथम | 1 | 1 | — |
| 4. | निदेशक राज्य विज्ञान संस्थान गुडगाँव प्रथम | प्रथम | 1 | 1 | — |
| 5. | प्राचार्य रा० उ० महाविद्यालय | द्वितीय | 77 | 55 | 22 |
| 6. | प्राचार्य जे० बी० टी० स्कूल | द्वितीय | 4 | 2 | 2 |
| 7. | परिशिष्ट विशेषज्ञ | द्वितीय | 3 | 2 | 1 |
| 8. | विज्ञान परामर्शी | द्वितीय | 1 | 1 | 0 |
| 9. | मूल्यांकन अधिकारी | द्वितीय | 2 | 1 | 1 |
| 10. | परामर्श दाता | द्वितीय | 1 | 1 | — |
| 11. | भनोविज्ञानिक बरिष्ठ प्रा० | द्वितीय | 216 | 166 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---|---------|----|----|----|
| 1.2. | उप मण्डल शिक्षा अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी | द्वितीय | 41 | 28 | 13 |
| 1.3. | जिला शिक्षा अधिकारी | प्रथम | 11 | 8 | 3 |
| 1.4. | तकनीकी प्राध्यापक | द्वितीय | 7 | 7 | -- |
| 1.5. | राज्य पुस्तकाध्यक्ष | द्वितीय | 1 | 1 | -- |

10132--D P.I —H.G.P., Chd.

Sub. Director Systems Unit,
 Ministry of Education
 Planning and Administration
 17-B, Sector 17, Connaught Place, Delhi-110016
 DOC. No.
 Date.....